

2021 03:57 AM
attachmen

(12)

संख्या-1116 / 11-3-2021-173 / 13

प्रेषक,

नीरजा कुरील,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-3

लखनऊ:दिनांक:०7 अक्टूबर, 2021

विषय:- उ०प्र० जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, राज्य कर विभाग को पृष्ठांकित लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के पत्र, दिनांक 22-09-2021 की प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र में की गयी अपेक्षानुसार राज्य कर विभाग से संबंधित अधिसूचित सेवाओं को तत्काल End to end online करते हुये विभागीय पोर्टल एवं E-district Portal पर उपलब्ध कराकर कृत कार्यवाही से लोक सेवा प्रबन्धन विभाग को अवगत कराते हुये इसकी सूचना राज्य कर अनुभाग-3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

श्री 2021/10/21

Dir. Add. Com. (Law)
08.10.21

कृते कमिश्नर
08.10.2021

JC (I.T.)

Accr/100
08/10/21

1684

2504

श्री 2
श्री राजेश श्रीवास्तव
वातावरण प्रदूषण
सूचना प्रेषित की।

भवदीया,

(नीरजा कुरील)
संयुक्त सचिव।

जनहित- गारण्टी योजना का E-District Portal पर Integration करने हेतु NIC के श्री शैलेश श्रीवास्तव Sr. Technical Director योजना भवन से email. shailesh.srivastava@nic.in अथवा पत्र द्वारा बात संभव होगा।

2504 (V) श्री 2021/10/21
NIC के उपरोक्तनुसार पत्र प्रेषित की।

18/10/2021
(Rajeev Dushwa)

18/10/2021